



क्र. B 29848

उपहार पत्र हेतु वांछित विवरण

1. मालियत उपहारपत्र : शून्य
2. बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया : रु. 36,12,000.00
3. स्टाम्प शुल्क : रु. 36,200.00
4. आवास विकास शुल्क : देय नहीं है
5. कुल स्टाम्प शुल्क देय : रु. 36,200.00
6. मुख्य क्षेत्र : मौजा माजरा, देहरादून
7. सम्पत्ति : आवासीय भवन स्थित भूमि खाता खतौनी संख्या 1752 (फसली वर्ष 1417 से 1422) खसरा संख्या 990छ (पुराना खसरा संख्या 680/1 एवं 683/1) जिसका कुल क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर है, जिसमें भूतल पर निर्मित भाग का क्षेत्रफल 105.83 वर्गमीटर है, स्थित मौजा माजरा, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून
8. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय सम्पत्ति
9. उपहारदाता का नाम व पता : श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह नेगी निवासी 59, सुभाष नगर, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून हाल निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून (V.I.D. No. IBG0358697)
10. उपहारग्रहीता का नाम व पता : कैप्टन राजेश नेगी पुत्र श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून (PAN-AEIPN1717P)
11. स्टाम्प पृष्ठों की संख्या : 10 पृष्ठ
12. रचयिता का नाम : श्री अनिल कुमार त्यागी, एडवोकेट, देहरादून



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

178215

22 JAN 2015



उपहार विलेख

यह उपहार विलेख आज दिनांक 30-01-2015 को स्थान देहरादून में श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह नेगी निवासी 59, सुभाष नगर, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून हाल निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून (जिसको इस विलेख में "उपहारदाता" कहकर सम्बोधित किया गया है)।

.....उपहारदाता

एवं

कैप्टन राजेश नेगी पुत्र श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून (जिसको इस विलेख में "उपहारग्रहीता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....उपहारग्रहीता

(2)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

178262

यह कि उपहारदाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी, मालिक, काबिज व अधिकारी है। उपहारदाता ने सूची में वर्णित सम्पत्ति की भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15-07-1988 के द्वारा श्री आनन्द सिंह उपनाम श्री अनन्त सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह से क्रय की थी, जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून में बही संख्या 1, जिल्द 2696 के पृष्ठ 75, ए0डी0 फाईल बुक संख्या 1, जिल्द 3158 के पृष्ठ 127 से 132 में नं0 7077 पर दिनांक 18-07-1988 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है। उपहारदाता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज व अंकित है। उपहारदाता ने भूमि क्रय करने के उपरान्त मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से एक आवासीय भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त भूमि पर एक आवासीय भवन का निर्माण कराया, जिसमें भूतल पर एक ड्राईंग डाईनिंग, तीन कमरे, एक स्टोर, एक टायलेट, एक किचन एवं बरामदा निर्मित है। इस प्रकार उपहारदाता को सूची में वर्णित सम्पत्ति को उपहार में देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

(3)

Opened on

Closed on



उत्तराखण्ड UTTERAKHAND

B 432558

कोषागार
उत्तराखण्ड
22 JAN 2008
1-10

यह कि उपहारदाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति, जिसका पूर्ण विवरण इस उपहार विलेख के अन्त में दिया गया है को अपने पुत्र कैप्टन राजेश नेगी को उपहार में दे रहा है।

यह कि उपहारदाता को कथित सम्पत्ति को उपहार करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अतः यह उपहार विलेख निम्नलिखित दर्शाता है:-

1. यह कि उपहारदाता इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति अपने समस्त अधिकारों व सुखाधिकारों के जो उन्हें आज तक प्राप्त हैं तथा भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं, सहित उपहारग्रहीता के पक्ष में उपहार के माध्यम से स्थायी रूप से अन्तरित करता है तथा उपहारग्रहीता इसे एतद्वारा स्वीकार करता है। अब उपहारग्रहीता सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी हो गयी हैं। अब उपहारदाता का कोई अधिकार सम्पत्ति पर नहीं रह गया है। उपहारग्रहीता को पूर्ण अधिकार है कि वह इस सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपभोग करें।



कोषागार देहरादून उत्तराखण्ड 22 JAN 2018 निगत कि. को. सं. UTTARAKHAND

B 432559

2. यह कि इस अन्तरण को प्रभावी बनाने हेतु यदि भविष्य में किसी अन्य दस्तावेज अंकन की आवश्यकता आन पड़ी तो कथित दस्तावेज उपहारदाता अंकित कर देगा।
3. यह कि उपहारदाता कथित सम्पत्ति उपहारग्रहीता को बिना किसी आर्थिक प्रतिफल के बल्कि प्यार एवं स्नेह के प्रतिफलस्वरूप अपनी स्वेच्छा से उपहारग्रहीता को दे रहा है। उपहारग्रहीता को अधिकार होगा कि वह वर्णित सम्पत्ति का जिस प्रकार चाहे उपयोग, उपभोग करे, विक्रय, दान वसीयत अन्तरण आदि करे अर्थात् जो जो भी अधिकार उपहारदाता को प्राप्त थे वह सभी अधिकार उपहारग्रहीता को प्राप्त होंगे, जिस पर उपहारदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि उपहारग्रहीता को अधिकार होगा कि वह सम्पत्ति को राजस्व अभिलेखों/नगर निगम अभिलेखों में अपने नाम अंकित कराये, इसमें उपहारदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

[Signature]

[Signature]



उत्तराखण्ड-UTTARAKHAND

B 432698

कोषागार देहरादून
उत्तराखण्ड

22 JAN 2013

5. यह कि इस उपहार विलेख के पाबन्द, उपहारदाता एवं उपहारग्रहीता उनके हित प्रतिनिधी, एजेन्ट, वारिसान आदि आदि समान रूप से रहेगे व इस उपहार विलेख को भविष्य में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं देंगे।

विशेष विवरण

1. यह कि उपहारदाता एवं उपहारग्रहिता किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
2. यह कि उपहारदाता, उपहारग्रहिता का पिता है।
3. यह कि सम्पत्ति मुख्य सहारनपुर रोड़ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
4. सूची में वर्णित सम्पत्ति कलेक्टर महोदय, देहरादून द्वारा जारी सर्किल रेट में उल्लेखित मौहल्ले/कालोनी में स्थित नहीं है।
5. सूची में वर्णित सम्पत्ति के दो तरफ सड़क स्थित है।
6. निर्माण लिन्टरपोश है तथा 13 वर्ष पुराना है।

[Signature]

[Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 432699

कोषागार देहरादून
उत्तराखण्ड
22 JAN 2013
निर्गत किया
कमंड 001

यह कि कलेक्टर महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन मु0 36,12,000/- रुपये बैठता है

क- भूमि का मूल्यांकन $280 \times 5,400$ = मु0 15,12,000/-

ख- निर्माण का मूल्यांकन $105.83 \times 12,000 \times 0.870$ = मु0 11,04,866/-

कुल = मु0 26,16,866/-

चूंकि सूची में वर्णित सम्पत्ति में 30 फिट चौड़ा अर्थात 9 मीटर चौड़ा रास्ता है इस कारण सम्पत्ति के सम्पूर्ण अगंणीत मूल्यांकन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है जो कि मु0 3,92,530/- रुपये होती है। मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के उपरान्त सम्पत्ति की कुल कीमत मु0 30,09,396/- रुपये होती है। चूंकि सूची में वर्णित सम्पत्ति के दो तरफ सड़क स्थित है इस कारण सम्पत्ति के सम्पूर्ण अगंणीत मूल्यांकन पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है जो कि मु0 6,01,880/- रुपये होती है। मूल्यांकन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने के उपरान्त सम्पत्ति की कुल कीमत मु0 36,11,276/- रुपये होती है।

8. यह कि स्टाम्प हेतु मूल्यांकन मु0 36,12,000/- रुपये पर किया जाकर उस पर मु0 36,200/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है:-

$36,12,000/- \times 1\% = \text{मु0 } 36,200/-$

9. यह कि उपहारदाता द्वारा उपहारग्रहिता के पक्ष में सम्पत्ति को उपहार किये जाने से उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है। सम्पत्ति नगर निगम सीमा के अन्दर है।

[Signature]

[Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 432700

विवरण सम्पत्ति

आवासीय भवन स्थित भूमि खाता खतौनी संख्या 1752 (फसली वर्ष 1417 से 1422) खसरा संख्या 990छ (पुराना खसरा संख्या 680/1 एवं 683/1) जिसका कुल क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर है, जिसमें भूतल पर निर्मित भाग का क्षेत्रफल 105.83 वर्गमीटर है, स्थित मौजा माजरा, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओं से घिरा दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाये व नाप निम्न प्रकार है:-

पूरब	-	अंश में सम्पत्ति श्री डी0एस0 नेगी व अंश में सम्पत्ति श्री राजेन्द्र सिंह
पश्चिम	-	30 फिट चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 99 फिट
उत्तर	-	30 फिट चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 59 फिट

अतः आज दिनांक 30-01-2015 को स्थान देहरादून में पक्षकारों ने इस उपहार विलेख पर साक्षीगण के समक्ष हस्ताक्षर किये।

उपहारदाता

उपहारग्रहिता

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 432701

कोषागार देहरादून
उत्तराखण्ड

22 JAN 2013

किताब

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स

उपहारदाता का नाम एवं पता:- श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) पुत्र स्व० श्री

बलदेव सिंह नेगी निवासी 59, सुभाष नगर, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून हाल

निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून

बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका

दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

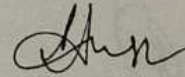
अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



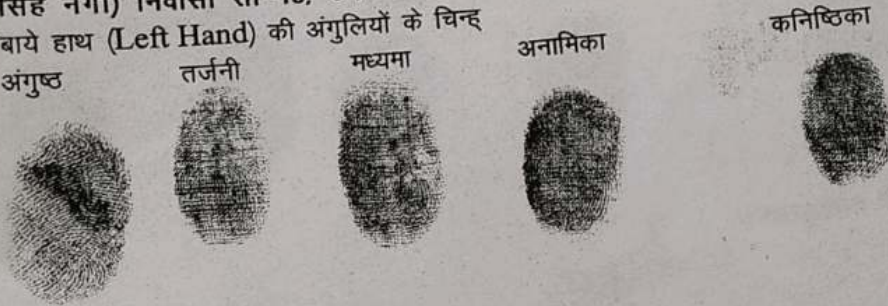
उपहारदाता के हस्ताक्षर



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

कोषागार देहरादून
उत्तराखण्ड
22 JAN 2015

उपहारग्रहिता का नाम एवं पता:- कैप्टन राजेश नेगी पुत्र श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी) निवासी सी-13, टर्नर रोड, क्लेमनटाऊन, देहरादून
बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



[Signature]

[Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

L 906634

कोषागार देहरादून
22 JAN 2015
निर्मल नेगी
कोड सं. 0

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



गवाह:-

1. श्री अनुज सिंह
पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
नि० ग्राम रैतोली
पो०ओ० पिपलकोटी,
जिला चमोली गढ़वाल
(PAN-EPPPS7960D)

2. श्री निर्मल नेगी
पुत्र श्री श्रीचन्द सिंह नेगी
नि० टर्नर रोड,
देहरादून
(V.I.D. No. WJL0214239)

उपहारग्रहिता के हस्ताक्षर

रचयिता श्री अनिल कुमार त्यागी, एडवोकेट, देहरादून।
फोटो सत्यापितकर्ता पक्षकार स्वयं।

ANIL KUMAR TYAGI
Advocate

गवाहन ने उपहारदाता, उपहारग्रहिता की पहचान की।

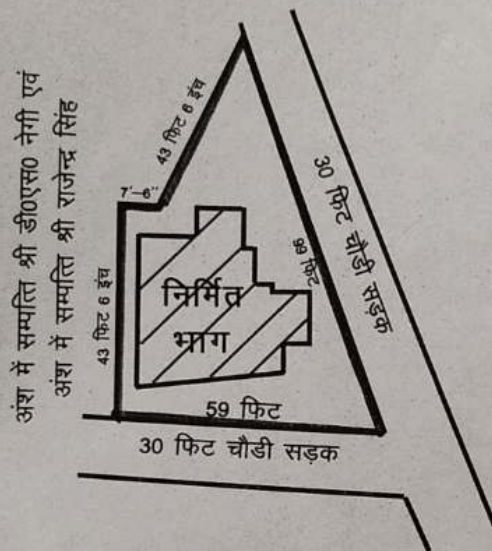
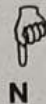
South Block, Chamber No.-2
Civil Court Compound, Dehra Dun

(11)

मानचित्र आवासीय भवन स्थित भूमि खाता खतौनी संख्या 1752 (फसली वर्ष 1417 से 1422) खसरा संख्या 990छ (पुराना खसरा संख्या 680/1 एवं 683/1) जिसका कुल क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर है, जिसमें भूतल पर निर्मित भाग का क्षेत्रफल 105.83 वर्गमीटर है, स्थित मौजा माजरा, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून

उपहारदाता - श्री रघुवीर सिंह नेगी (रघुवर सिंह नेगी)
उपहारग्रहिता - कैप्टन राजेश नेगी

NOT TO SCALE



[Signature]

ह० उपहारदाता

[Signature]

ह० उपहारग्रहिता